समाहरणालय मधेपुरा

(जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-66/खाद्य, दिनांक-03.01.2014 द्वारा माह जनवरी-2014 के लिए किरासन तेल का आवंटन प्राप्त हुआ है। विभागीय पत्रांक-1682/खाद्य, दिनांक-27.03.2008 एवं पत्रांक-1842/खाद्य दिनांक-08.03.2011 में दिए गए मार्ग दर्शन के आलोक के अनुरूप विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये किरासन तेल की मात्र के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के बीच नियमानुकूल वितरण कराना है। वर्त्तमान आवंटनादेश में ग्रामीण क्षेत्र में **बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 परिवारों को 2.750 (दो लीटर सात सौ पच्चास मिलीलीटर) लीटर की दर से तथा शहरी क्षेत्र के परिवार को प्रति परिवार 2.250 (दो लीटर दो सौ पच्चीस मिलीलीटर) लीटर** किरासन तेल कूपन के आधार पर किरासन तेल की आपूर्ति की जानी है। इसके अतिरिक्त एकरूपता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ठेला भेण्डर को प्रतिमाह-750 (सात सौ पचास) लीटर किरासन तेल की आपूर्ति किया जाना है।

अतः सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पत्रांक-66/खाद्य दिनांक-03.01.2014 के द्वारा माह-जनवरी, 2014 के लिए मधेपुरा जिला हेतु प्राप्त आवंटन को निम्नांकित विवरर्ण के अनुरूप प्रखण्डवार एवं अनुभाजन क्षेत्रवार /थौक विक्रेतावार उपावंटित किया जाता है :-

क्र0	प्रखण्ड अनुभाजन क्षेत्र का नाम।	2001 के आधार पर जनसंख्या।	माह नवम्बर 13 में प्रपत्र IX के आधार पर बी0पी एल0/ ए0पी0एल0 परिवारों की सं0	उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली0 में) ज0वि0प्र0 विकेता/ हॉकर।	सम्बद्ध थौक किरासन तेल विक्रेता का नाम।	विक्रेतावार उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली0 में)
01	02	03	04	05	06	07
01	मधेपुरा प्रखण्ड	149589	46980	ज0वि0प्र0 129195.000 हॉकर (6x750)_ 4500.000 133695.000	1.मे0मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज 2.मे0 चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज	123393.000 10302.000 कुल-133695.000
02	घैलाढ़ प्रखण्ड	73129	22255	ज0वि0प्र0 61201.250 हॉकर (6X750) 4500.000 65701.25	1.मे0 चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज	कुल-65701.250
03	नगर परिषद मधेपुरा	45031	11383	ज0वि0प्र0 25611.75 हॉकर (25X750) 18750.00 सरकारी संस्थान- 4879.00 49240.75	1.मे0 चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज	कुल- 49240.750
04	सिंहेश्वर प्रखण्ड	102086	32943	ज0वि0प्र0 90593.250 हॉकर (6X750) 4500.000 पुलिस अधीक्षक- 850.000 95943.25	मे0 शिवशक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल-95943.250
05	ग्वालपाड़ा प्रखण्ड	65125	19456	ज0वि0प्र0- 53504.00	मे0 शिवशक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल-53504.000
06	शंकरपुर प्रखण्ड	82519	28494	ज0वि0प्र0 54552.75	1.मे0 शिवशक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर 2.मे0 जयबजरंगज एजेन्सी कुमारखण्ड	54552.750 23805.750 कुल-78358.500
07	मुरलीगंज प्रखण्ड	141212	43283	ज0वि0प्र0 119028.25 सरकारी संथान 50.000 119078.25	1.मे0मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज 2.मे0 श्यामा स्टोर बिहारीगंज	91699.250 27379.000 कुल-119078.250
08	मुरलीगंज नगर पंचायत	22936	6589	ज0वि0प्र0- 14825.25 हॉकर (20X750) 15000.000 29825.250	मे0 मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज	कुल-29825.250
09	कुमारखण्ड प्रखण्ड	187643	52127	ज0वि0प्र0- 143349.250 हॉकर (1X750) 750.000 144099.250	1.मे0 जयबजरंग एजेन्सी कुमारखण्ड 2.मे0मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज	132194.250 11905.000 कुल-144099.250
10	उदाकिशुनगंज प्रखण्ड	136937	38168	ज0वि0प्र0- 104962.000 हॉकर (16X750) 12000.000 116962.00	1मे0 चामुण्डेय ऑयल एजेन्सी उदाकिशुगंज	कुल-116962.000
11	बिहारीगंज प्रखण्ड	101655	29088	ज0वि0प्र0- 79992.000 हॉकर (29X750)21750.000 [illegible]	1 मे0 श्यामा स्टोर बिहारगंज	कुल- 101742.000

12	ग्वालपाड़ा प्रखण्ड	95295	25214	ज0वि0प्र0- 69338.500 हॉकर (4X750) - 3000.000 72338.500	1 मे0 श्यामा स्टोर बिहारगंज	कुल-72338.500
13	आलमनगर प्रखण्ड	129226	38404	ज0वि0प्र0- 105611.000 हॉकर (7X750) -5250.000 110861.000	1 मे0 शंम्भू नाथ चौधरी आलमनगर	कुल-110861.000
14	चौसा प्रखण्ड	116471	32042	ज0वि0प्र0- 88115.500 हॉकर (2X750)- 1500.000 89615.500	1 मे0 शंम्भू नाथ चौधरी आलमनगर	कुल-89615.500
15	पुरैनी प्रखण्ड	77792	21617	ज0वि0प्र0 - 59446.750 हॅकर (2X750)- 1500.000 60946.750	1 मे0 श्यामा स्टोर बिहारीगंज 2 मे. शंम्भू नाथ चौधरी आलमगनगर	38540.500 22406.250 कुल-60946.750
	कुल योग	1526646	448043	1321911.250		1321911.250

2. इस प्रकार इस जिले में वितरण हेतु उपलब्ध 112 टैंकर (112 X 12000)=1344000+ समायोजित 0 लीटर कुल 1344000 लीटर किरासन तेल को प्रखण्डवार/अनुभाजन क्षेत्रवार उपवांटन किया गया है।

3. विभागीय निर्देश के अनुपालन में ग्रामीण एवं सुदूर थानो में रोशनी के लिए उपवांटित किरासन तेल कुल-850 ली0 एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक-5514/सा0प्र0, दिनांक-11.11.2009 से प्राप्त अनुरोध के आलोक में आवंटित-850 ली0 किरासन तेल को पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के आदेश से वितरण किया जाए। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से अनुरोध है कि वे संबंधित थौक किरासन तेल विक्रेता मे0 चामुण्डे ऑयल उदाकिशुनगंज एवं मेसर्स शिवशक्ति एजेंसी, सिंहेश्वर को उचित मूल्य भुगतान कर किरासन तेल प्राप्त कर नियमानुकूल उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

4. जिला सुरक्षित में आवंटित 4929 लीटर किरासन तेल को निम्न विवरणी के अनुरूप संस्थानवार उपावंटित किया जाता है :-

1 अधीक्षक ,मंडल कारा, मधेपुरा 250 लीटर मे0 चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज

2 सदर अस्पताल 100 लीटर मे0 चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज

3 कोषागार गार्ड, मधेपुरा 40 लीटर मे0 चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज

4 बी0एन0 मंडल, वि0वि0मधेपुरा 1000 लीटर मे0 चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज

5 व्यवहार न्यायालय ,मधेपुरा 1000 लीटर मे0 चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज

6 समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला मुख्यालय स्थित संलग्न कार्यालय सहित) 1639 लीटर मे0 चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुगंज

7 पुलिस अधीक्षक 850 में0 चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज

8 आवा0अनु0जाति वि, भोकराहा (स्थानान्तरित ,मुरलीगंज) 50 लीटर में0 मोतीलाल रामरूप ,मुरलीगंज

<u>कुल योग- 4929 लीटर</u>

उपर्युक्त कंडिका 04 में निर्धारित कोटे के अनुसार किरासन तेल का उठाव संबंधित संस्थान के प्रधान के द्वारा संबंधित थौक विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान करने के उपरान्त किया जाऐगा एवं सभी संस्थान के प्रधान वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वीं तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समाहरणालय, मधेपुरा /अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा /अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास /कल्याण छात्रावास, मधेपुरा हेतु आवंटित किरासन तेल का मासिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र नगर परिषद, मधेपुरा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा मंडल कारा को उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा द्वारा सदर अस्पताल, मधेपुरा हेतु उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र अधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा द्वारा कोषागार गार्ड हेतु उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिंता प्रमाण पत्र कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बी0एन0मंडल

(156)

विश्वविद्यालय, मधेपुरा हेतु उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र कुल सचिव, बी0एन0मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा द्वारा व्यवहार न्यायालय,मधेपुरा हेतु उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रभारी न्यायाधीश,व्यवहार न्यायालय,मधेपुरा द्वारा सुदुरवर्ती थानों में रोशनी की व्यवस्था एवं आरक्षी बलों के लिए आवंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक,मधेपुरा द्वारा एवं आवासीय अनु0जाति, आवासीय विद्यालय,मुरलीगंज हेतु आवंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,मुरलीगंज द्वारा प्रत्येक माह समर्पित किया जाएगा ।

5. सरकार के अपर सचिव ,खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,बिहार पटना के पत्रांक-66/खाद्य, दिनांक-03.01.14 से प्राप्त निर्देश के ही अनुरूप हॉकरों के लिए आवंटित किरासन तेल का वितरण जिले में लगने वाले हाट/बाजारों में स्थानीय आपूर्ति निरीक्षक /पणन पदाधिकारी एवं निगरानी समिति की देख रेख में अनुमोदित सूची/संख्या के अनुसार अनुमोदित वितरण स्थल पर ही किया जाएगा एवं तत्संबंधी वितरण पंजी का विधिवत संधारण किया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी के आदेश के बिना वितरण स्थल में फेरबदल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी अनियमितता की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अनुमंडल पदाधकारी की होगी। सभी संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वीं तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र-IX अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमोदित कराकर जिला आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक माह की 5वीं तिथि तक विगत माह से संबंधित किरासन तेल वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अगले माह के उपावंटन हेतु प्रपत्र IX तैयार कर उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी /आपूर्ति निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रपत्र "क" में तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

6. संगत विभागिय निदेश के अनुपालन में उपावंटित किरासन तेल को नियमानुसार शत्-प्रतिशत उठाव एवं वितरण सूनिचिश्त करने के निमित्त संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है।

7. सरकार के सचिव, खाद्य एंव उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक-1682/खाद्य,दिनांक-27.03.08 एवं पत्रांक-1841/खाद्य, दिनांक-08.03.2011 के अनुपालन में पंचायत स्तरीय निगरानी समिति /वार्ड स्तरीय निगरानी समिति की देख-रेख में कूपनधारी बी0पी0एल0/अन्तयोदय /ए0पी0ए0 परिवारों से संबंधित माह का किरासन तेल का कूपन प्राप्त कर सरकार द्वारा ग्रामीण /शहरी क्षेत्रो के लिए निर्धारित मात्रा के अनुरूप किया जाएगा। कूपनधारियों के लिए आवंटित किरासन तेल का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाऐगा। थौक किरासन तेल विकेता से ज0वि0प्र0वि0 /किरासन तेल ठेला भेंडर को आपूर्ति किए जानेवाले किरासन तेल एवं ज0वि0प्र0वि0 /ठेला भेंडर द्वारा उपभोक्ताओं को किये जानेवाले वितरण कार्य का सतत् निरीक्षण से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाऐगा। विभागीय निदेश का शत्-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है ।

8. दिनांक-11.10.2011 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी,मधेपुरा की अध्यक्षता में आहूत समीक्षात्मक बैंठक में लिए गए निर्णय के आलोक में मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेंसी उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि घैलाढ़ प्रखंड नगर परिषद, मधेपुरा एवं मधेपुरा प्रखंड (आंशिक) के ज0वि0प्र0वि0 /ठेला भेंडर को स्वंय द्वारा समर्पित सहमति पत्र में वर्णित स्थल पर संबंधित प्र0आ0पदा0की निगरानी एवं अंचल गार्ड की अभिरक्षा में किरासन तेल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

2

(155)

९. विभागीय निदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय को उपावंटित किरासन तेल कुल सचिव बी0एन0मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के आदेशानुसार वितरण किया जाएगा। कुल सचिव संबंधित थौक विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान कर सीधे किरासन तेल प्राप्त करेंगे।

१०. संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे किरासन तेल का नियमानुसार उठाव एवं वितरण अपने सीधे नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कराना सुनिश्चित करते हुए संलग्न विहित प्रपत्र में उठाव एवं वितरण से संबंधित वांछित प्रतिवेदन माह के अन्त में जिला आपूर्ति कार्यालय, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय ।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
18/1/14 मधेपुरा।

18/01/14
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 21......./आ0,मधेपुरा ,दिनांक 18 जनवरी, 2014

प्रतिलिपिः- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक/सभी थौक किरासन तेल विक्रेता,मधेपुरा जिला संबंधित सभी संस्थानों को सूचनार्थ एंव अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः- सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना /आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमंडल सहरसा /उप निदेशक, खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित ।

18/01/14
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
मधेपुरा।
18/1/14

18/01/14
जिलाधिकारी
मधेपुरा।